

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-1/पी0एम0सी0/वि0/559/12 (एस0डी0) -----/ रॉंची, दिनांक :-----/

निबंधित

सेवा में,

श्री नन्द लाल मंडल (आई0डी0-एम0 591),
सहायक अभियंता (यॉ0),
तेनुघाट बॉध प्रमंडल, तेनुघाट।

विषय:-विभागीय अधिसूचना सं0-3019 दिनांक 30.06.2012 द्वारा किए गए स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित विभागीय आदेश का अनुपालन अब तक आपके द्वारा नहीं किया गया है जबकि इस संबंध में विभागीय पत्रांक 473 दिनांक 17.07.2012, पत्रांक 4549 दिनांक 01.09.2012 तथा प्रेस विज्ञापित दिनांक 06.01.2013 द्वारा भी आपको नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

आपका उपर्युक्त कृत्य प्रथम दृष्टया विभागीय आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को प्रमाणित करता है। आपको पुनः निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अपने पूर्व पद का प्रभार सौंप कर नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर दोनों प्रभार प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित करें अन्यथा कृपया स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।

विश्वास भाजन

ह0/-

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र0)

पत्रांक:-1/पी0एम0सी0/वि0/559/12 (एस0डी0) 1460 / रॉंची, दिनांक : 7-3-13 /

प्रतिलिपि:- वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची को विभाग के बेबसाइट के Notice (Employees Notice) सेक्सन में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र0)

पुनीष
6-3-13